न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी : शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या : 432/2016

1. मोत्या बाई
2. पुष्पा बाई } पुत्री स्वर्गीय सरया जाति बैरवा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
3. सुखलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति बैरवा निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा
4. प्रभुलाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी पापडली तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रेवडी बाई पुत्री पांचू पत्नि रामेश्वर बैरवा निवासर तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. बैंक प्रबंधक भूमि विकास बैंक बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

वकील वादीगण : श्री हरिओम प्रजापत

वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 22.09.2016

निर्णय दिनांक : 16.07.2020

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पुश्तैनी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 453 की खसरा नम्बर 307 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 308 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 309 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 790 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 824 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 1008 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 1008/5673 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 2251 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2252 रकबा 0.10 है0, कुल किता 9 रकबा 4.85 है0 वाके ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां में विवादित आराजी के नाम से संबोधित है। उक्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 16 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 388 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 432 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 469 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 1747 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 1748 रकबा 12 बिस्वा, कुल किता 7 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके सीसवाली तह0 मांगरोल में [illegible] थे जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2030–33 में खातेदार सरया पुत्र कंवरलाल जाति चमार सा0 ढेह खाते दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

सरया पुत्र कंवरलाल वादी कम 1 व 2 के पिता व वादी कम 3 व 4 के नाना है तथा वादीगण स्वर्गीय सरया के जायज वारिसान है। व विवादित आराजियात पर बहैसियत हक उत्तराधिकारी से सरया के जीवनकाल से आराजी पर काबिज काश्त है और काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता, नाना सरया की मृत्यु हो चुकी है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

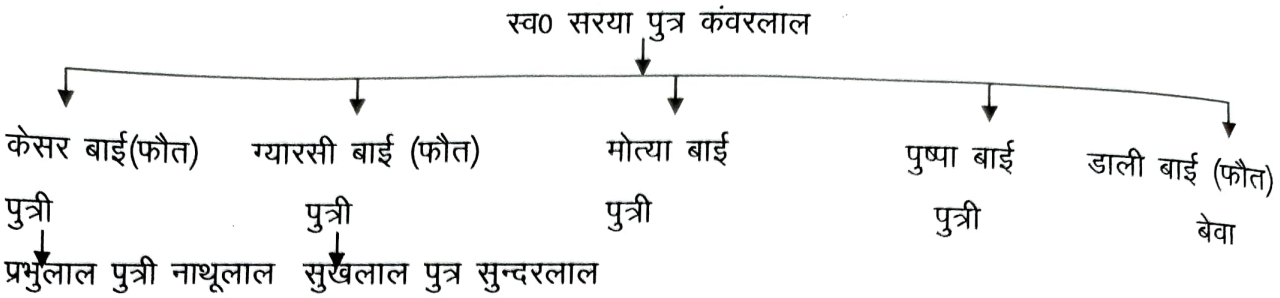

वादीगण की पुश्तैनी आराजी जो सरया पुत्र कंवरलाल के खाते दर्ज थी पर प्रतिवादी कम 1 के पिता पांचू का नाम का इन्तकाल नम्बर 305 दिनांक 29.10.1975 से 1/2 हिस्सा पर सरया के पुत्र के रूप में दर्ज हुआ तथा 1/2 हिस्सा पर डाली बाई बेवा दर्ज की गई जो कि इन्तकाल नं0 305 पूर्णतया गलत व फर्जी दर्ज किया गया व पांचू का नाम सरया की भूमि पर गलत दर्ज कर दिया। एक मात्र नाम पांचू के नाम दर्ज हुआ। जबकि विवादित आराजी पर वादीगण ही काबिज काश्त थे। पांचू के पक्ष में भी खोला गया इन्तकाल काबिले खारिज योग्य है। विवादित आराजी पर पांचू का नाम आ जाने के बाद पांचू ने उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम 2 के बैंक से किसान केडिट कार्ड से ऋण लिया है उक्त आराजी वर्तमान में भी रहन दर्ज है। जो कि पांचू द्वारा विवादित आराजी में बिना किसी अधिकारी के मात्र खांते में गलत नाम दर्ज कराने से भूमि को रहन रखा था जो भी काबिले खारिज है। विवादित आराजी में पांचू के फौत हो जाने के बाद प्रतिवादी कम 1 का नाम इंतकाल नं0 2160 दिनांक 05.08.2015 से दर्ज किया जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के हिस्सा 1/2 दर्ज है। लेकिन उक्त आराजियात पर वादीगण काबिज काश्त है। और प्रतिवादी कम 1 व उसके पिता पांचू विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नही रहे है। और प्रतिवादी कम 1 के पिता पांचू के नाम भूमि गलत दर्ज हुई है जिससे प्रतिवादी के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं0 2160 भी काबिल खारिज योग्य है। विवादित भूमि आराजी के खातेदार सरया से कोई वास्ता व कोई संबंध नही था तथा सरया के जायज वारिस उसकी पुत्रिया है जो कि पांचू के पक्ष में खोला गया इंतकान नं0 305 फर्जी व बनावटी होने से काबिले खारिज योग्य है। विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 2 का नाम बतौर शामलाती खातेदार हिस्सा 1/2 गलत दर्ज है। व वादीगण की माता व नानी डाली बाई भी फौत हो चुकी है जिसके स्थान पर वादीगण अपना नाम दर्ज कराने के हकदार है सम्पूर्ण आराजियात पर वादीगण हक उत्तराधिकारी होने से अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 का नाम होने से वह विवादित आराजी को बैचान करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी कम 1 का नाम विवादित आराजी में दर्ज होने के बाद प्रतिवादी कम 1 दो, तीन व्यक्तियों के साथ विवादित आराजी पर आयी और वादी कम 2 को धमकाया कि इस जमीन में मेंरा आधा हिस्सा है जिसको में बैचान कर रही हूं। तुम इस जमीन का कब्जा छोड दो अब तुम्हारा इसमे कोई

अधिकार नही है पर वादीगण तहसील मांगरोल में आकर जमाबंदी लेने पर उक्त जानकारी हुई कि वादीगण की पुश्तैनी आराजी में प्रति0 कम 1 का नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है। अतः संसोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 निम्न आशयक की डिकी सादर फरमायी जावें कि इन्तकाल नं0 305 दिनांक 29.10.2975 व इन्तकाल नं0 2160/05.08.2015 ग्राम सीसवाली खारिज किया जाकर ग्राम सीसवाली में स्थित आराजी खाता संख्या 453 की खसरा नं0 307 रकबा 0.50 है0 खसरा नं0 308 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 309 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 790 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 824 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 1008 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 1008/5673 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 2251 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2252 रकबा 0.10 है0, कुल किता 9 रकबा 4.85 है0 पर प्रतिवादी कम 1 रेवडी बाई व डाली बाई का नाम खारिज किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

ग्राम भटेडी तह0 मांगरोल में खाता संख्या 39 की खसरा नं0 97 रकबा 1.19 है0 को वादीगण की माता/नानी के खाते की ग्राम सोनवा तह0 मांगरोल में खाता संख्या 84 की खसरा नं0 276 रकबा 0.64 है0 खसरा नं0 277 रकबा 0.34 है0, किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें उक्त आराजी को प्रतिवादी कम 2 के बैंक से रहन मुक्त किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.09.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादनी कम 1 ने जर्ये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर जवाब दावा के लिए समय चाहा दौराने वाद उभय पक्ष ने आपसी सहमति हो जाने से वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ने अपने हस्ताक्षरशुदा राजीनामा पर अपने–अपने फोटो लगाकर जर्ये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादी कम 2 व 3 को तर्क करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी कम 2 व 3 को तर्क किया जाता है।

राजीनामा को पृथक से उभय पक्ष को पढकर सुनाया गया व समझाया गया बाद स्वीकार उभय पक्ष राजीनामा तस्दीक करके पत्रावली शामिल किया गया। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार हाल खाता संख्या नया 997 वाके ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल में दर्ज कुल किता 9 रकबा 4.85 है0 में से खसरा नं0 824 की रकबा 1.28 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज की जावे। शेष आराजी खाता संख्या 997 की 3.57 है0 वादी कम 1 ता 4 के शामलाती खाते में दर्ज होगी। खाता संख्या 39 ग्राम भटेडी तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 97 रकबा 1.19 है0 व खाता संख्या 84 ग्राम सोनवा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 276 रकबा 0.64 है0 खसरा नं0 277 रकबा 0.34 है0, किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 आराजी वादी कम 1 ता 4 के शामलाती खाते में दर्ज होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः मुताबिक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद को निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:–

(अ) खाता संख्या 997 वाके ग्राम सीसवाली में दर्ज आराजी कुल किता 9 रकबा 4.85 है0 में से खसरा नं0 824 की आराजी रकबा 1.28 है0 पश्चिमी ओर प्रतिवादनी कम 1 रेवडी बाई पुत्री पांचू पत्नि रामेश्वर जाति बैरवा निवासी तिसाया तह0 मांगरोल में खाते में दर्ज की जाकर खाता पृथक करके पृथक से लगान कायम किया जावें।

(ब) खाता संख्या 997 वाके ग्राम सीसवाली में से आराजी खसरा नं0 824 रकबा 1.28 है0 खारिज हो जाने के बाद शेष रही कुल आराजी 3.57 है0 वादी कम 1 ता 4 के शामलाती खाते में दर्ज की जावें तथा पृथक से लगान कायम किया जावें।

(स) ग्राम भटेडी तह0 मांगरोल की खाता संख्या 39 में दर्ज आराजी खसरा नं0 97 रकबा 1.19 है0 एवं ग्राम सोनवां तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 276 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 277 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 रकबा 0.98 है0 आराजी का वादी कम 1 ता 4 को तन्हा खातेदार घोषित किया जाकर खाते में नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा पूर्व में दर्ज खातेदारान के नाम खाते से खारिज किये जाते है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:14:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.07.2020 को सुनाया गया।